राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःचिप्र/आरएमआरएस/2017/ 396 दिनांकः 13.09.2017

आदेश

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से रखे जाने के आधार पर कार्मिकों की आवश्यकता जाहिर करते हुये राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से 124 नर्स-2 (सलंग्न सूचिबद्ध) एंव 5 हैल्थ असिस्टेन्ट को बिना सक्षम स्वीकृति, समुचित बजट प्रावधान व विहित प्रक्रिया का पालन किये बिना ही अनुबां/संविदा के आधार पर लगा कर कार्य करवाया गया। इन सभी संविदा कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से हटाये जाने तथा संविदा कार्मिकों को उनकी उपस्थिति के आधार पर देय पारिश्रमिक नर्स ग्रेड-द्वितीय को रूपयें 7900/- प्रतिमाह से अनधिक एंव हैल्थ असिस्टेन्ट को न्यूनतम मजदूरी की दर सहित एंव एक माह के नोटिस अवधि के एवज में एक माह का अतिरिक्त पारिश्रमिक भुगतान की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

चूंकि प्रकरण में पूर्व में ही राज्य सरकार पर अनावश्यक भार उत्पन्न हो चुका है। अतः इन संविदा कर्मियों की सेवायें तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने के सम्बधं में विभाग की मांग के अनुसार राशि रूपयें 71.00 लाख (अक्षरे राशि रूपयें इकहत्तर लाख मात्र) का भुगतान बजट मद 2210-06-101-01-00-41 संविदा व्यय मे उपलब्ध प्रावधान से किये जाने की स्वीकृति सयुंक्त शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांकः आईडी. 1522/चिस्वा/ग्रुप-3/2017 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा निम्नांकित शर्तो पर प्रदान की गई हैः-

1. अनियमित राशि के भुगतान के सम्बधं में दोषी कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर राशि उनसे वसूल करने की कार्यवाही की जावें।
2. इस प्रकार के प्रकरणों की किसी अन्य स्तर पर पुनरावृति न हो इस हेतु समुचित निर्देश सक्षम स्तर से जारी किये जायें।
3. उक्त स्वीकृति इन संविदा कर्मियों को लगाये जाने की संख्या तथा देय मासिक अथवा दैनिक भुगतान के सम्बधं में प्रदत्त नही की जा रही है। देय भुगतान का निर्णय विभाग के स्तर से नियमानुसार किया जावें। उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के दायित्व में और अधिक वृद्धि न हो, के दृष्टिगत रखते हुये प्रदान की जा रही है।
4. प्रकरण में विधि संबंधी प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें ताकि कार्मिकों को न्यायालय से बिना विभाग की सुनवाई के राहत प्राप्त नही हो सकें।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 101704766 दिनांक 11.09.17 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

13/9/17

(डॉ0 वी0के0 माथुर)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एंव मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
4. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त), एनएचएम, मुख्यालय।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
7. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
8. सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा को प्रषित कर निर्देशित किया जाता है कि अनियमित राशि के भुगतान के सम्बधं में दोषी कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर राशि उनसे वसूल करने की कार्यवाही की जावे, तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवायें।
5. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें–जोन, जयपुर, जोधपुर,अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर एंव बीकानेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों की किसी अन्य स्तर पर पुनरावृति न हो सुनिश्चित किया जावें।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों की किसी अन्य स्तर पर पुनरावृति न हो सुनिश्चित किया जावें, अन्यथा सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।
10. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सयुंक्त शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग के पत्र क्रमांकः आईडी. 1522/चिस्वा/ग्रुप–3/2017 दिनांक 13.09.2017 में दिये गये निर्देशों की अक्षरक्षः पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवायें, अन्यथा आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।
6. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विधि संबंधी प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें ताकि कार्मिकों कों न्यायालय से बिना विभाग की सुनवाई के राहत प्राप्त नही हो सकें।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश सभी सम्बन्धित को मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।

13-9-17

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।